

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भूजल संरक्षण के समेकित विकास संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु चित्रकूटधाम मण्डल की दिनांक 30.05.2017 को आयोजित कार्यशाला का कार्यवृत्त :

दिनांक 30.05.2017 को आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा की अध्यक्षता में चित्रकूटधाम मण्डल के विभिन्न विभागों की कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में निदेशक भूगर्भ जल विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक भूगर्भ जल विभाग, वनसंरक्षक, संयुक्त विकास आयुक्त, निदेशक प्रसार(कृषि) विश्व विद्यालय बॉदा, संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ, महाप्रबंधक जलसंस्थान, अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मण्डल, अधीक्षण अभियन्ता जलनिगम, उप कृषि निदेशक, उपनिदेशक(अर्थ एवं संख्या) समेत मण्डलीय अधिकारी एवं समस्त मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूटधाम मण्डल, वन विभाग, भूमिसंरक्षण विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, उपायुक्त मनरेगा, खण्ड विकास अधिकारी कतिपय जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. उपर्युक्त कार्यशाला का प्रारम्भ आयुक्त चित्रकूटधाम की अनुमति से प्रारम्भ हुआ। आयुक्त के निर्देशानुसार उपर्युक्त चारों जनपदों क्रमशः महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं बॉदा की समेकित पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देने से पूर्व जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों, जियोलॉजी, जियो माइक्रोलॉजी, जियो हाइड्रोलॉजी में आने वाली टेक्नोलॉजी तथा कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित किये गये सूचनाओं से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके दृष्टिगत में श्री उमेशचन्द्र श्रीवास्तव सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट/अधिकाधीन अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-बॉदा एवं श्री अनिल कुमार मिश्रा हाइड्रोलॉजिस्ट उपर्युक्त तथ्यों से अधिकारीगणों को अवगत कराया गया। श्री मिश्रा द्वारा उपर्युक्त चारों जनपदों की समेकित रूप से तैयार किया पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण विस्तार से दिया गया। निदेशक भूगर्भ जल विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य विस्तार से समस्त विभागों के आये अधिकारियों को बताया गया तथा अपेक्षा की गयी कि भविष्य में सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित करके ही चेकडेम व तालाब आदि का निर्माण करायें।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में अनेक चेकडेम बनाये गये हैं जिनमें स्थल की उपयुक्तता, निर्माण की तकनीकी विशिष्टियां मुख्य हैं इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रस्तावित चेकडेम की कार्ययोजना को गहन रूप से देखा जाना आवश्यक है कि गाइडलाइन के अनुसार चेकडेम निर्माण के लिए कितने स्थल उपलब्ध होंगे। पुराने तालाबों के पुर्नविकास/पुनरुद्धार को कार्य लघु सिंचाई विभाग के अतिरिक्त कई अन्य विभागों यथा ग्राम्य विकास, कृषि, जलनिगम, सिंचाई विभाग आदि द्वारा किया जा रहा है आवश्यक होगा कि संबंधित विभागों के साथ जिला योजना तकनीकी समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर विस्तृत चर्चा करें, जिससे तालाब पुनर्विकसित किया जा सके व शासकीय धन का दुरुपयोग न हो।

2. कार्यशाला में उपस्थित वनसंरक्षक द्वारा बुन्देलखण्ड में वनीकरण को बढ़ावा दिये जाने के परामर्श दिया गया और यह अवगत कराया गया कि इनके विभाग द्वारा जलागन पद्धति अपनाते हुये चेकडैम इत्यादि का निर्माण किया जाता है जिसमें भूगर्भ जल विभाग से अन्य आदि तकनीकी सहयोग आवश्यकतानुसार प्राप्त करेंगे। उन्होने बताया कि सार्वजनिक व निजी जमीन पर वृक्षारोपण कराये जाने के लिये उनके विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। नर्सरी में उपलब्ध प्रजातियों को प्राप्त कर वृक्षारोपण का कार्य व्यापक रूप से कराये जाने तथा खाली पड़े स्थानों पर एक पेड़ लगाये जाने की अपेक्षा की गयी है। वन संरक्षकों द्वारा वृक्षारोपण के संबंध की गई चर्चा में वृक्षों की प्रजातियों के संबंध में परामर्श दिया गया कि बुन्देलखण्ड में बीज रोपित कर उस क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुये उससे जो वृक्ष तैयार होंगे उसकी आयु अधिक होगी। उनका विभाग सरकारी जमीन जैसे विभिन्न कार्यालयों के परिसर विद्यालयों व सड़कों के किनारों वृक्षा रोपण करने में सरकारी विभागों को सीधे मदद करेगा तथा निजी जमीन पर वृक्षा रोपण हेतु आवश्यक परामर्श देगा तकि सम्पूर्ण सरकारी व निजी जमीनों पर वृक्षा रोपण का कार्य किया जा सके।
3. कृषि विभाग लखनऊ से आये संयुक्त निदेशक श्री श्रीवास्तव द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और प्रस्तावित योजनाओं के बारे में बताया गया विशेष रूप से (क) चेकडैम/नाला बंद(ख) वाटर हार्वेस्टिंग (ग) आर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती जो दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है उसे बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। जिससे किसानों की आय दुगना की जा सके। संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा ट्यूबलर का प्रस्तुतीकरण कर बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। साथ ही लेमन ग्रास, तालाब के चारों ओर किन्नु, अनार, सरीफा इत्यादि फलों की खेती करने की अपार संभावना का सुझाव दिया गया। संयुक्त निदेशक कृषि द्वारा बोंदा जनपद की दो स्लाइडों में बोंदा के ही किसान द्वारा स्प्रिंकलर के द्वारा व इसके बिना भी खेती किये जाने के लाभ व हानि प्रदर्शित करते हुये इसमें यह स्पष्ट किया गया कि स्प्रिंकलर द्वारा किसान की खेती अच्छी हुई और इस प्रक्रिया द्वारा पानी की 60 प्रतिशत बचत भी की गई। स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई का बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
4. काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निदेशक श्री बाजपेयी द्वारा अपने विश्वविद्यालय परिसर में 20 से अधिक खेत तालाब बनवाये गये जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुये और उनके द्वारा यह भी बताया कि राजस्थान व बुन्देलखण्ड की आद्रता समान है राजस्थान के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार तथा जल की उपलब्धता के अनुसार खेती करते हैं और भरपूर उपज भी लेते हैं। यहाँ पर स्थापित प्रजातियाँ जो बुन्देलखण्ड की तरह ही हैं। अल्सी की खेती जो अब बुन्देलखण्ड में कम होती जा रही है को भी बढ़ावा देने का अह्वान किया गया है। श्री बाजपेयी द्वारा यह भी अनुभव साझा किया गया कि राजस्थान में तलाबों के पानी की उपलब्धता बनाये रखने के लिए तालाब की तलहटी में प्लास्टिक की पाइपें लगाई जाती हैं जिससे पानी दीर्घ अवधि

तक रहता है। पशुओं के चारे के लिये उन्होंने यह सुझाव दिया कि खेतों पर भेड़बन्धी कर व्यापक रूप से घास लगाया जाये जिससे पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होगा और वर्षा जल का संचयन भी होगा और कृषकों के खेतों का पशुओं द्वारा नुकसान पहचाना भी रूक जायेगा।

अन्त में आयुक्त महोदय ने सभी से अपेक्षा की कि सभी मंडल एवं जनपदस्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके विभाग द्वारा भूजल संरक्षण के कार्य इस प्रकार कराये जाय कि उनमें आपस में डुप्लीकेसी न हो सके। सभी विभाग आपस में समन्वय कर कार्य कराये ताकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भूगर्भजल की समस्या दूर हो सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

*Ajaya*  
(अजय कुमार शुक्ला)

आयुक्त,  
चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा

कार्यालय आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा

पत्रांक 257 / पी0ए0 / 2017-18, दिनांक 03-6-2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि, लखनऊ।
3. निदेशक, भूगर्भ एवं जल विभाग, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
4. वनसंरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, बॉदा।
5. निदेशक प्रसार कृषि, विश्वविद्यालय, बॉदा।
6. उपनिदेशक, उद्यान, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
7. महाप्रबंधक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
9. संयुक्त कृषि निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
10. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, बॉदा।
11. जिलाधिकारी, चित्रकूट / बॉदा / हमीरपुर / महोबा।
12. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट / बॉदा / हमीरपुर / महोबा।
13. अधिशाषी अभियन्ता, भूगर्भ एवं जल विभाग खण्ड-बॉदा।
14. समस्त संबंधित जनपद स्तरीय / ब्लाक स्तरीय अधिकारी, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।

*Ajaya*  
(अजय कुमार शुक्ला)  
आयुक्त,  
चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा